

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 17.12.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना शिवली 1. मोहर सिंह पुत्र गोपी बंजारा उम्र 33 वर्ष 2. राजू पुत्र गोरेलाल बंजारा नि0गण टीन टपरिया थाना सुकेत जिला कोटा प्रान्त राजस्थान। अभियुक्त गण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करना व अभियुक्त गण को अवैध तमचा व कारतूस बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 409/2025 धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अ0सं0-112/24 धारा-379/411 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त शिवपाल पुत्र देवीदिन निवासी ग्राम सरगांव खुर्द थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-394/25 धारा- 85/80(2)/92 बीएनएस व ¾ डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुलाब सिंह पुत्र झब्बू सिंह नि0 गरिया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-94/25 धारा- 137(2)/87/115(2)/352/351(3)/64(1) बीएनएस व ¾ पास्को एक्टबीएनएस व ¾ डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अंकित पुत्र जयनारायण नि0 नैपलापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा एनसीआर नं0-293/25 धारा 170 बीएनएसएस से सम्बन्धित अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र सर्वेश कुमार नि0 खमैला थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रुरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना रनिया पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों व थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।